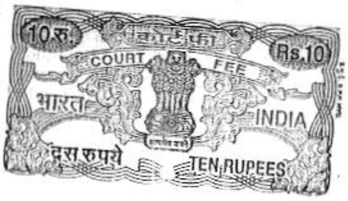

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/1969

दिनांक 29.6.17 को श्री सुन्दरम श्रीवास्तव अभि. द्वारा प्रस्तुत।
29.6.17

1. रामस्वरूप पुत्र श्री लोहरे
2. सरवन पुत्र श्री लोहरे
3. पूरम पुत्र श्री शिवचरण
4. प्रताप पुत्र श्री रामस्वरूप
5. पदम पुत्र श्री रामस्वरूप
6. भूरा पुत्र श्री रामस्वरूप
7. महेन्द्र पुत्र श्री जवाहरलाल
8. कल्ला पुत्र श्री सरमन
9. लोकेन्द्र पुत्र श्री जबाहरलाल

समस्त जाति रावत, समस्त व्यवसाय–कृषि
निवासीगण–ग्राम टोड़ा तहसील बेराड़
जिला शिवपुरी .... **आवेदकगण**

बनाम

लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति धाकड़, निवासी–ग्राम टोड़ा, तहसील बेराड़ जिला शिवपुरी

.........**अनावेदक**

2017 June- 127

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू रास्व संहिता 1959 विरूद्ध श्रीमान तहसीलदार बेराड़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/16-17 /अ-70 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2017

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यहकिं, प्रस्तुत निगरानी न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील बेराड के प्रकरण क्रमांक 3/16-17/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 24.06. 2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है।

2. यहकि, अनावेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील बेराड़ के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा 250 म.प्र.भू. राजस्व सहिता 1959 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि. वह स्वंय विवादित भूमि सर्वे नम्बर 1723 रकवा 1.57 है. स्थित ग्राम टोड़ा तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी का एक मात्र भूमि स्वामी है।

3. यहकि, अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के पैरा नं0 4 में यह स्पष्ट रूपसे उल्लेख किया गया है कि, निगरानीकर्तागण द्वारा उक्त विवादित भूमि पर दिनांक 05.12.2016 को आकर जबरन कब्जा कर लिया एवं खेती कर रहे है जिससे व्यथित होकर अनावेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील बेराड़ के समक्ष उक्त आदेश प्रस्तुत किया गया।

4. यहकि, उक्त अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर न्यायालय तहसीलदार तहसील बेराड़ द्वारा दिनांक 24.06.2017 को ग्राहता पर सुनकर ग्राहय कर लिया गया एवं आवेदकगण को बिना सूचना पत्र जारी कर प्रकरण को अंतिम तर्क हेतु दिनांक 04.07.2017 को नियत किया गया है।

2017 June- 128

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2017/1969

रामस्वरूप आदि विरूद्ध लोकेन्द्र सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बेराड़, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 3/2016-17/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 24/06/17 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	